बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14 / अ0प्र0–03–75 / 2021 / पटना, दिनांक–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 1984 अनु0 दिनांक 18.03.2021 द्वारा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना का पत्रांक 2703 दिनांक 14.12.2020 से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए संसूचित किया गया है कि **राजकिय अम्बेदकर छात्रावास काशीपुर, समस्तीपुर के परिसर में 140 आसन वाले नये छात्रावास भवन का निर्माण कार्य के निविदा में संवेदक श्री अमित कुमार साही, पता–कलमबाग रोड, जिला–मुजफ्फरपुर के द्वारा गलत अनुभव प्रमाण–पत्र दिया गया है। जिसके आलोक में मुख्य महाप्रबंधक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा संवेदक को दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी है।**

दिनांक 12.01.2021 को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन / कालीकरण संबंधी बैठक में उक्त संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का विचार किया गया। तदनुसार भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 356 दिनांक 18.01.2021 द्वारा संवेदक से पूछा गया। संवेदक का पत्र वापस आ गया।

विषयांकित मामले में पुनः दिनांक 05.02.2021 को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निबंधन / कालीकरण सबंधी बैठक में विचार किया गया। विचारोपरान्त समिति द्वारा उक्त संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने हेतु स्मारित करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 888 दिनांक 09.02.2021 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण हेतु स्मारित किया गया एवं पत्रांक 1159 दिनांक 22.02.2021 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित किया गया। जिसके उपरान्त भी संवेदक का स्पष्टीकरण अप्राप्त था।

दिनांक 05.02.2021 को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निबंधन / कालीकरण संबंधी बैठक में विचार किया गया। विचारोपरान्त संवेदक को निबंधन को तीन वर्षो के लिए निलंबित (अगली निविदा में भाग लेने से वंचित) करने का निर्णय लिया गया।

समिति के उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक अमित कुमार साही, पता–कलमबाग रोड, जिला–मुजफ्फरपुर निबंधन संख्या–1200099 / 06.03.2020 (श्रेणी– प्रथम) के निबंधन को विभागीय स्तर से आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षो के लिए निलंबित (अगली निविदा में भाग लेने से वंचित) किया गया है। विषयांकित मामले में कृत कार्रवाई के आधार पर उक्त संवेदक के विरूद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई किये जाने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है।

अतएव वर्णित परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में **संवेदक अमित कुमार साही, पता–कलमबाग रोड, जिला–मुजफ्फरपुर (निबंधन संख्याः– 1200099/2020 श्रेणी–प्रथम)** को बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 के कंडिका–11 (क) उप कंडिका–IX में निहित प्रावधानों एवं बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक 18.06.2015 के कंडिका–8 के उप कंडिका–4 **(ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने)** में निहित प्रावधानों के आलोक में 10 (दस) वर्षो के लिए विभागीय काली सूची में डाला जाता है।

(हस्ताक्षर) 8/4/21
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–75/2021 2141 /पटना, दिनांक–08/4/2021

निबंधित

प्रतिलिपि– **संवेदक अमित कुमार साही, पता–कलमबाग रोड, जिला–मुजफ्फरपुर (निबंधन संख्याः– 1200099/2020 श्रेणी–प्रथम)** को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/4/21
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–75/2021 2141 /पटना, दिनांक–08/4/2021

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/4/21
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–75/2021 2141 /पटना, दिनांक–08/4/2021

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/4/21
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–75/2021 2141 /पटना, दिनांक–08/4/2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/4/21
अभियंता प्रमुख